

पत्रांक -3/एम०-42/2019सा0प्र0...455/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक ०९.०१.२०२५

विषय—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका-4.(3)(I) में ऐसे संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। अतः यह कार्रवाई सामान्यतया प्रशासी विभाग द्वारा ही की जानी है।

3. परन्तु संविदा पर नियोजित आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक सभी विभागों में पदस्थापित हैं। अतः प्रत्येक विभाग में संविदा नियोजित आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के मानदेय निर्धारण/पुनरीक्षण में एकरूपता बनाये रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई करने की अनुशंसा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी है।

k

4. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में परिचालन विधि से सम्पन्न बैठक में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 अथवा 1003 दिनांक-22.01.2021 के प्रावधानों के तहत सभी विभागों/कार्यालयों में संविदा नियोजित आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का मानदेय निम्नवत् पुनर्निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है-

(क) आशुलिपिक/आशुटंकक - रुपये 30000/- प्रतिमाह (दिनांक-08.09.2023 के प्रभाव से);

(ख) निम्नवर्गीय लिपिक- रुपये 25000/- प्रतिमाह (दिनांक-01.12.2024 के प्रभाव से)।

5. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित अनुशंसा के आलोक में अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत संविदा नियोजित आशुलिपिक/आशुटंकक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का तदनुसार पुनरीक्षित मानदेय का आदेश शीघ्र निर्गत करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

Rajendra
9.1.2025

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-3/एम०-42/2019सा०प्र०.....⁴⁵⁵ / दिनांक 09.01.2025
प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रभारी स्थापना शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra
9.1.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/एम०-42/2019सा०प्र०.....⁴⁵⁵ / दिनांक 09.01.2025
प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra
9.1.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव